न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तारानगर जिला चूरू

पीठासीन अधिकारी :– राजेन्द्र कुमार (आर.ए.एस.)

अनुवान रामसिंह **बनाम** कमला आदि

वाद संख्या 138 वर्ष **2022**

निर्णय दिनांक :–03.11.2025

रामसिंह पुत्र आईदान सिंह जाति चारण निवासी रेड़ी तहसील तारानगर जिला चूरू

– वादी –

बनाम

1. कमला पत्नी स्व. जयचन्द दान जाति चारण निवासी रेडी तहसील तारानगर जिला चूरू
2. दलीपसिंह पुत्र स्व. जयचन्द दान जाति चारण निवासी रेड़ी तहसील तारानगर जिला चूरू
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तारानगर जिला चूरू
4. शाखा प्रबंधक बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा रैयाटुण्डा तह. तारानगर जिला चूरू

प्रतिवादीगण

दावा खाता विभाजन अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम धारा 5 उपनिवेशन अधिनियम

उपस्थितः–

1. **श्री जितेन्द्रसिंह एडवोकेट वास्ते वादी।**
2. **श्री रविन्द्रसिंह एडवोकेट वास्ते प्रतिवादी सं. 01 एवं 02।**
3. **राजपैरोकार तहसीलदार तारानगर वास्ते प्रतिवादी सं. 03**

–:निर्णयः–

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार हैं कि विवादित कृषिभूमि खसरा नम्बर 19/5 तादादी 6.4490 हेक्टेयर, खसरा नं. 31/6 तादादी 4.9316 हेक्टेयर, खसरा नं. 18/5 तादादी 6.4616 हेक्टेयर, खसरा नं. 30/6 तादादी 1.2139 हेक्टेयर कुल तादादी 19.0561 हेक्टेयर वाके रोही खरथली पटवार हल्का रेड़ी तहसील तारानगर जिला चूरू में स्थित है। उक्त खसराजात की कृषिभूमि ही विवादित है। उक्त विवादित कृषिभूमि वादी व प्रतिवादीगण की विरास्तन कृषिभूमि है उक्त कृषिभूमि का विरास्तन अनुसार पारीवारिक बंटवारे के अनुसार वादी व प्रतिवादीगण काबिज काश्त होकर अपने हिस्से अनुसार अपने उपयोग उपभोग में लेते आ रहे है। वादी व प्रतिवादीगण के हिस्से में उक्त खसरा नम्बर 19/5 तादादी 6.4490 हेक्टेयर, खसरा नं. 31/6 तादादी 4.9316 हेक्टेयर, खसरा नं. 18/5 तादादी 6.4616 हेक्टेयर, खसरा नं. 30/6 तादादी 1.2139 हेक्टेयर कुल तादादी 19.0561 हेक्टेयर वाके रोही खरथली पटवार हल्का रेड़ी तहसील तारानगर जिला चूरू भूमि है। इस कुल कृषिभूमि में से वादी के हिस्से में 11.3806 हेक्टेयर भूमि आती है। उसी अनुसार उपरोक्त खसरा में वादी लगातार काबिज काश्त होकर अपनी भूमि को उपयोग उपभोग में लेता आ रहा है। उक्त कृषिभूमि विरास्तन कृषिभूमि है। विरास्तन कृषिभूमियों का पारीवारीक बंटवारे से वादी व प्रतिवादीगण काबिज होकर काश्त करते आ रहे है। प्रतिवादीगण ने राजस्व कर्मचारियों से मिलीभगत कर वादी जो अनपढ व्यक्ति है को बिना बताये उक्त वादगत कृषिभूमि में अच्छी किश्म की कृषिभूमि का राजस्व में अंकन करवा कर रंग भरवा लिया लेकिन वादी व प्रतिवादीगण का कब्जा काश्त विरास्तन बंटवारे के अनुसार

उपखण्ड अधिकारी तारानगर (चूरू)

Rajendra

लगातार 50 सालों से काविज काश्त होकर अपने उपयोग उपभोग में लेते आ रहे है जब वादी के बेटो ने राजस्व रिकार्ड में देखा तो उक्त राजस्व रिकार्ड में अच्छी किस्म की कृषिभूमि प्रतिवादी सं. 1 व 2 ने अपने नाम अंकन करवा रखी थी। वादी ने प्रतिवादीगण को कहा कि राजस्व रिकार्ड में अपना अपना जो कब्जा काश्त है उसे बंटवारा के अनुसार अंकन करवा लो तो प्रतिवादीगण ने कहा कि हम तो राजस्व रिकार्ड में जो अंकन है उसी अनुसार कब्जा लेगें इसलिये वादी द्वारा प्रतिवादीगण के खिलाफ उक्त घोषणात्मक वाद पेश किया जाना आवश्यक हो गया कि खसरा नं. 19/5 सम्पूर्ण तथा खसरा 18/5 खसरा 30 /6, खसरा नं. 31/6 के उत्तरी दिशा सहित कुल 11.3806 भूमि वादी कास्त करता है तथा खसरा नं. 31/6, 30/6 18/5 की दक्षिणी दिशा में कुल 7.6755 हेक्टेयर भूमि प्रतिवादीगण काश्त करते है। उपरोक्तानुसार ही वादी के हिस्से में राजस्व रिकार्ड में घोषणा की जाकर वादी के हिस्से में अंकन किये जाने का घोषणात्मक वाद पेश किया जा रहा है। उपरोक्त अनुसार ही वादी के हिस्से में राजस्व रिकार्ड में घोषणा की जाकर वादी के हिस्से में अंकन किया जावे वादी रामसिंह के राजस्व नक्शा में रंग भरा जावे। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में खाता विभाजन किया जावे। वादी ने प्रतिवादीगण को कई बार कहा व अन्य लोगों से भी कहलवाया कि, वह उक्त कृषिभूमि में अपने-अपने हिस्से के मुताबिक खाता विभाजन करवा लेवें एवं जब तक उक्त कृषिभूमि का विधिक रूप से विभाजन नहीं हो जाता तब तक उक्त कृषिभूमि को प्रतिवादीगण किसी अजनबी केता को रहन व विकय ना करें, ना ही किसी प्रकार से हस्तान्तरण करें तथा ऐसा कार्य व अकार्य करें तो प्रतिवादी कुछ दिन तो टाल मटोल करता रहा। आखिर दिनांक 25.07.2022 को ऐसा करने से बमुकाम रेड़ी तहसील तारानगर में साफ इन्कार हो गये, लिहाजा यही तारीख बिनाय मुखास्मत वाद है। विवादित कृषिभूमि का लैंड होल्डर राजस्थान सरकार है। राजस्थान सरकार के प्रतिनिधि तहसीलदार तारानगर है इसलिये तहसीलदार तारानगर को इस वाद में वाद पक्षकार बनाया गया है। विवादित कृषिभूमि व वाद पक्षकार न्यायालय के क्षेत्राधिकार में है। अतः दावा सुनने का श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार इस अदालत हाजा को हासिल है। आदि आदि।

इस प्रकार वाद वादीगण खिलाफ प्रतिवादी पेश कर निवेदन है कि दावा निम्न प्रकार से डिक्री किया जावे कि खसरा नं. 19/5 सम्पूर्ण तथा खसरा नं. 18/5, खसरा नं. 30/6, खसरा नं. 31/6 के उत्तरी दिशा सहित कुल 11.3806 हेक्टेयर भूमि वादी काश्त करता है तथा खसरा नं. 31/6, 30/6, 18/5 की दक्षिणी दिशा में कुल 7.6755 हेक्टेयर भूमि प्रतिवादीगण काश्त करते है। उपरोक्त अनुसार ही वादी के हिस्से में राजस्व रिकार्ड में घोषणा की जाकर वादी के हिस्से में अंकन किया जावे। खसरा नं. 19/5 सम्पूर्ण तथा खसरा नं. 18/5, खसरा नं. 30/6, खसरा नं. 31/6 के उत्तरी दिशा सहित कुल 11.3806 हेक्टेयर भूमि वादी काश्त करता है तथा खसरा नं. 31/6, 30/6, 18/5 की दक्षिणी दिशा में कुल 7.6755 हेक्टेयर भूमि प्रतिवादीगण काश्त करते है। उपरोक्त अनुसार ही वादी के हिस्से में राजस्व रिकार्ड में घोषणा की जाकर वादी के हिस्से में अंकन किया जावे वादी रामसिंह के राजस्व नक्शा में रंग भरा जावे। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में खाता विभाजन किया जावे।

वाद पत्र प्रस्तुत होने पर इसे दर्ज दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये रजिस्टर्ड सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 01 एवं 02 दिनांक 17.02.2023 को स्वयं उपस्थित हुए और इनकी ओर से अधिवक्ता श्री रविन्द्रसिंह ने वकालतनामा पेश किया। उपस्थित पक्षकारों ने राजीनामा प्रस्तुत किया जो शामिल मिसल है। उक्त राजीनामा दोनों पक्षों ने स्वीकार किया। वकील वादी द्वारा साक्ष्यवादी हेतु समय चाहा गया।

वकील वादी द्वारा साक्ष्य के तौर पर वादी रामसिंह पुत्र आईदान जाति चारण निवासी रेड़ी ने शपथ पत्र पीडब्ल्यू 1 प्रस्तुत किया और बयान लेखबद्ध करवाये साथ ही दस्तावेज प्रदर्श करवाये। वकील प्रतिवादी ने साक्ष्य प्रतिवादी के तौर पर गवाह डीडब्ल्यू 1 कमला देवी पत्नी जयचन्द दान जाति चारण व गवाह डीडब्ल्यू 2 दलीप सिंह पुत्र जयचन्द दान जाति चारण का शपथ पत्र पेश किया एवं बयान लेखबद्ध करवाये। प्रतिवादी संख्या 3 तहसीलदार तारानगर की ओर से राजपैरोकार उपस्थित आये। राजपैरोकार ने जाहिर किया कि प्रकरण में राज्यहित निहित नहीं है।

उपखण्ड अधिकारी तारानगर (चूरू)

Rajendra

चूंकि दावा का कोई खण्डन पेश नहीं हुआ है। अतः तनकी कायम कराने की आवश्यकता नहीं हुई। बहस उभयपक्ष के अधिवक्तागण की सुनी गई। वकील पक्षकारान ने निवेदन किया कि राजीनामा के अनुसार वादी व प्रतिवादीगण 1 व 2 की खातेदारी घोषित की जाकर खाता विभाजन मुताबिक राजीनामा दावा डिक्री फरमाया जावे।

वकील पक्षकारान की बहस पर मनन किया गया तथा सम्पूर्ण पत्रावली का अवलोकन किया गया। वकील वादी एवं प्रतिवादीगण ने मुताबिक राजीनामा दावा अंतिम रूप से डिक्री करने का निवेदन किया। वाद में प्रस्तुत राजीनामा के अनुसार वादी का वाद पुष्ट एवं प्रमाणित पाया जाता है अतः वाद वादी बरूवे राजीनामा अंतिम रूप से डिक्री किया जाना न्यायोचित है।

—:: आदेश ::—

अतः वाद वादी बरूये राजीनामा अन्तिम डिक्री किया जाता है तथा विवादित कृषिभूमि खसरा नम्बर 19/5 तादादी 6.4490 हेक्टेयर, खसरा नं. 31/6 तादादी 4.9316 हेक्टेयर, खसरा नं. 18/5 तादादी 6.4616 हेक्टेयर, खसरा नं. 30/6 तादादी 1.2139 हेक्टेयर कुल तादादी 19.0561 हेक्टेयर वाके रोही खरथली पटवार हल्का रेड़ी का खाता विभाजन बरूये राजीनामा निम्न प्रकार किया जाता है

1. वादी रामसिंह पुत्र आईदान जाति चारण निवासी रेड़ी तहसील तारानगर जिला चूरू के हक एवं हिस्से में खेत खसरा नं. 19/5 तादादी 6.4490 हेक्टेयर, खसरा नं. 31/6 तादादी 3.0503 हेक्टेयर, खसरा नं. 30/6 तादादी 0.2988 हेक्टेयर, 18/5 तादादी 1. 5825 हेक्टेयर कुल खसरा 4 कुल तादादी 11.3806 हेक्टेयर रोही मौजा खरथली पटवार हल्का रेड़ी तहसील तारानगर में संलग्न नक्शे के अनुसार बरंग हरा दिखाई गई है वो वादी रामसिंह के हक व हिस्से में रहेगी।
2. प्रतिवादी कमला देवी पत्नी जयचन्द दान, दलीपसिंह पुत्र जयचन्द दान जाति चारण निवासी रेडी तहसील तारानगर जिला चूरू दोनों के हक एवं हिस्से में खेत खसरा नं. 31/6 तादादी 1.8813 हेक्टेयर, खसरा नं. 30/6 तादादी 0.9151 हेक्टेयर, खसरा नं. 18/5 तादादी 4.8791 हेक्टेयर कुल खसरा 3 कुल तादादी 7.6755 हेक्टेयर रोही मौजा खरथली पटवार हल्का रेड़ी तहसील तारानगर में संलग्न नक्शे के अनुसार बरंग लाल दिखाई गई है जिसमें प्रतिवादी कमला का 1/2 हिस्सा रहेगा व प्रतिवादी दलीप का 1/2 हिस्सा रहेगा।

जिन खातेदारों की भूमि बैंक रहन है वह यथावत बैंक रहन रहेगी। राजीनामा व इसके साथ प्रस्तुत नक्शा निर्णय व डिकी का भाग रहेगा। खर्चा पक्षकार अपना-अपना वहन करेंगे। तदनुसार पर्चा डिकी जारी हो।

(राजेन्द्र कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)

निर्णय आज दिनांक 3/11/25 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजेन्द्र कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)

उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)